



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण, 1937 (श०)
संख्या 585 राँची, सोमवार,
10 अगस्त, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त, 2015

संख्या-एल0जी0-15/2015-43--लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक-31 जुलाई, 2015 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015

(झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2015)

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम-1960 (2011 में यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

प्रस्तावना:- चूँकि झारखण्ड विधानमंडल सत्र में नहीं है और चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम-1960 (2011 में यथा संशोधित) में वर्णित रीति से संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ।

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अध्यादेश झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (झारखण्ड अध्यादेश सं0-01, 2015) के विषय सूची के क्रमांक-2, प्रस्तावना, प्रथम पंक्ति एवं अध्याय-1 के क्रमांक-2 में अंकित "झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम-2011" के स्थान पर "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम-1960 (2011 में यथा संशोधित)" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

रांची

दिनांक- 03 अगस्त, 2015

द्रौपदी मुर्मू,
झारखण्ड राज्यपाल

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

3 अगस्त, 2015

संख्या-एल० जी०-15/2015-44--लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-31 जुलाई, 2015 को अनुमत झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

**THE JHARKHAND AGRICULTURAL PRODUCE MARKET (AMENDMENT) ORDINANCE-
2015**

(Jharkhand Ordinance, 03, 2015)

An Ordinance

To amend the The Jharkhand Agricultural Produce Market Act-1960 (As amended in 2011).

Preamble:- Whereas, the legislative Assembly of the State of Jharkhand is not in session

And whereas, the Governor of Jharkhand is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend The Jharkhand Agricultural Produce Market Act-1960 (As amended in 2011) adopted as the manner herein after appearing :-

Now, therefore, in the exercise of power conferred by clause (1) of Article, 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Chapter-I

Commencement

1. Short title, extent and commencement :-
 - (i) This Ordinance may be called The Jharkhand Agricultural Produce Market (Amendment) Ordinance, 2015
 - (ii) It shall come into force at once.
 - (iii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
2. The words “**Jharkhand agricultural produce market (Amendment) Act, 2011**” prescribed in serial 2 of subject, preamble, first line and serial 2 of The Jharkhand Agricultural Produce Market (Amendment) Ordinance-2015 (Jharkhand Ordinance no.- 01, 2015) is hereby substituted by the words “**Jharkhand agricultural produce market Act-1960 (As amended in 2011)**”

Ranchi

Dated:- 03 august, 2015

Draupadi Murmu,

Governor of Jharkhand.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।